<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2189

01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

सलाहकार समिति

2189. श्री हरि ओम पाण्डेयः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत कोई सलाहकार या परामर्शदात्री समिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर इसकी संरचना एवं आकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें नामांकित एवं स्थायी सदस्यों दोनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति की कार्य अवधि एवं नामांकन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा इनके भत्तों एवं विशेषाधिकारों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): इस्पात मंत्रालय में इस्पात मंत्री की अध्यक्षता वाली निम्नलिखित सलाहकार/परामर्शदात्री समितियां हैं:

(i) हिंदी सलाहकार समिति

(ii) इस्पात उपभोक्ता परिषद

(ख) से (घ): हिंदी सलाहकार समिति के गठन, ढांचे और सदस्यों के ब्यौरे भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-I में प्रकाशित इस्पात मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11015(4)/2014-हिंदी, दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जिस पर दिनांक 19.09.2016 को आंशिक संशोधन किया गया है। सलाहकार समिति के नामित सदस्यों में सरकार और सीपीएसई के प्रतिनिधि; गैर-शासकीय सदस्यों के रूप में लोक सभा, राज्य सभा और संसदीय राजभाषा समिति से संसद सदस्य; केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् और अखिल भारतीय हिंदी संस्थान के प्रतिनिधि; तथा राजभाषा विभाग और इस्पात मंत्रालय के नामित प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का कार्यकाल संकल्प प्रकाशित होने की तिथि से 3 वर्ष होता है। हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों का नामांकन और उनको दिए जाने वाले भत्ते इत्यादि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन, ढांचे और सदस्यों के ब्यौरे भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-I में प्रकाशित संकल्प संख्या 5(3)/2016-एसडीआई, दिनांक 21.12.2016 और 19.01.2017 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इस्पात उपभोक्ता परिषद् के नामित सदस्यों में सरकार, लोहा और इस्पात के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि; उद्योग संघों, भवन निर्माताओं और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि; मीडिया के प्रतिनिधि; इस्पात क्षेत्र के विशेषज्ञ इत्यादि शामिल हैं। इस्पात उपभोक्ता परिषद् का प्रारंभिक कार्यकाल संकल्प के प्रकाशन की तिथि से 2 वर्ष होता है, जब तक कि कार्यकाल का विशेष रूप से विस्तार अथवा संकुचन न किया जाए।

******